पाँच रुपये FIVE RUPEES

निग/3937-II-15

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2015

भगत पिता पत्ती जायसवाल, निवासी ग्राम–झारा तहसील सरई जिला सिगरौली (म.प्र.)

———आवेदक

दिनांक 14-12-15 को विनोद भार्गव अधि० द्वारा प्रस्तुत।
14.12.15

विरूद्ध

श्रीनारायण पिता रामनाथ जयसवाल, निवासी ग्राम–झारा, तहसील–सरई जिला सिगरौली (म.प्र.)

———अनावेदक

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 14-12-2015

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला सिगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16/11/2015 के विरूद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योगय है।

2. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्र. 1102 रकबा 0.15 हेक्टयर में से आवेदक द्वारा 0.04 हेक्टर भूमि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06/07/1992 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तद्नुसार आवेदक अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि पर जहां उसे कब्जा दिया गया था। वहां पर काबिज दखल चला आ रहा है।

3. यहकि, अनावेदक द्वारा आवेदक द्वारा क्रय की गयी भूमि पर बाउण्डरी वाल बनाने का प्रयास किये जाने पर आवेदक द्वारा अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि के नकशा तरमीन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया।

4. यहकि, तसीलदार महोदय द्वारा प्ररकण क्र. 28/अ–5/2015–16 में राजस्व निरीक्षक से स्थल पर कब्जानुसार नकशा तरमीन प्रस्ताव बुलाया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पर हितबद्ध व्यक्तियों की उपरिथति में कजानुसार नकशा तरमीम प्रस्ताव तैयार कर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3987–दो/2015 जिला–सिंगरौली

भगत जायसवाल विरूद्ध श्रीनारायण जयसवाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री अमित भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवसर, जिला–सिंगरौली के प्र. क्र. 23/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	